राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. श्रीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. बंशीधर 3 मुरली 4 राजेन्द्रसिह 5 पवन कुमार पुत्रगण रामचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

6. बिमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

7. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नेरन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 203/190 की कुल 9.3230हैक्ट भूमि पूर्व में गुलाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा गुलाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई अर्थात विरासतन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व होने के कारण अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष कर दिया गया है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने पर विरासतन से उनके पुत्र पर औद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 बराबर के हकदार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा गुलाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व होने के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया गया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है व राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 203/190 की कुल 9.3230हैक्ट जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 500/– अखरे रूपये पाचं सो मात्र का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–सोनडी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. श्रीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

2. बंशीधर 3 मुरली 4 राजेन्द्रसिह 5 पवन कुमार पुत्रगण रामचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

6. बिमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

7. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 35 सन 2018 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपरिथति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 203/190 की कुल 9.3230हैक्ट जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 500/– अखरे रूपये पाचं सौ मात्र का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S. Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–सोनडी